

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस10)

वाद सं0 : 09 सन 2020

अनवान :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवारी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 26/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 124/107 की कुल 3.7950हैक में से 4/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 178/97 की कुल 2.3340हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हनुमान पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेशेकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हनुमान पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश है यही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 124/107 की कुल 3.7950हैक् में से 4/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 178/97 की कुल 2.3340हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है वादी का कथन है कि उसका सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम हनुमान प्रसाद है हनुमान व हनुमान प्रसाद दोनो एक ही व्यक्ति है इसप्राकर सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों व पेरोकार एवं सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 124/107 की कुल 3.7950हैक् में से 4/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 178/97 की कुल 2.3340हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के नाम से हनुमान पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

जो
ही

का
साक्ष्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/752

दिनांक :-

तहसीलदार राजस्व

26.8.20

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 09/2020 अनवानी हनुमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 09/2020 अनवानी हनुमान प्रसाद बनाम सरकार में दिनांक 26/08/20 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 124/107 की कुल 3.7950 हैक् में से 4/25 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 178/97 की कुल 2.3340 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के नाम से हनुमान पुत्र ओमप्रकाश के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)